आयुक्त सं.-1617003 date 13/04/2016

/ वाणिज्य कर

पत्रांक-ज्वा0कमि0 (स0द0)/ 2016-17/ 45

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 13 अप्रैल-2016

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर अन्य राज्यों के लिए तथा अन्य राज्यों की सीमाओं से होकर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पारगमन प्राधिकार पत्रों (बहती) के माध्यम से करापवंचन बढ़ रहा है। अत: उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर जाने वाले बहती से आच्छादित वाहनों को माल सहित प्रदेश के बाहर जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा अन्य राज्यों के पारगमन प्राधिकार पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आने वाले करयोग्य माल की सूचना समीपस्थ राज्यों के चेकपोस्ट/ ई- चेकपोस्ट से प्राप्त करके उनकी जांच कराते हुए करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

2- समीपस्थ राज्य क्रमश: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तरांचल के वाणिज्य कर/ बिक्रीकर विभाग ऐसे करयोग्य माल के क्रय-विक्रय तथा उसके परिवहन के विषय में सूचनायें आदान-प्रदान करने को तैयार है। कतिपय राज्यों से मेमोरेन्डम आफ अण्डरटेकिंग (MOU) भी निष्पादित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार उक्त राज्यों से सूचनायें सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से भी ऐसी सूचनायें सम्बन्धित राज्यों को दी जा सकती हैं।

3- अत: एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के सीमावर्ती जिलों (वाणिज्य कर मण्डल) की सचल दल इकाईयों / कर निर्धारण के अधिकारियों को प्रतिदिन सीमावर्ती राज्य की समीपस्थ चेकपोस्ट/ ई चेकपोस्ट पर भेजकर वहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पास हुए पारगमन प्राधिकार पत्र (बहती) की सूचना प्राप्त की जाये और उसे सम्बन्धित जोन्स को उपलब्ध कराया जाये ताकि ऐसी सूचनाओं के आधार पर प्रवर्तन एवं कर निर्धारण शाखा के अधिकारी इस आशय की जांच कर सकें कि उत्तर प्रदेश में करयोग्य माल मंगाने वाली फर्म अस्तित्व में है या नहीं और बहती के माध्यम से उसके द्वारा मंगाये गये माल को अपने मासिक, त्रैमासिक रिटर्न में प्रदर्शित किया जा रहा है अथवा नहीं और तदनुसार कार्यवाही कर सके। उक्त के अतिरिक्त बहती के आधार पर उ0प्र0 राज्य की सीमा से होते हुए सीमा पार जाने वाले वाहनों का विवरण भी प्राप्त कर लिया जाये और उन्हें बहती के प्रवेश स्थलों की जोन्स को उपलब्ध कराये जाये ताकि ऐसे वाहन जिनका उक्त चेकपोस्ट/ ई-चेकपोस्ट से पार जाना स्पष्ट न हो, के मामलों में नियमानुसार विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही कराई जा सके।

एतदर्थ आपके द्वारा भेजे जाने वाले अधिकारियों को प्रदेश के बाहर जाने की अनुमति स्वत: अनुमन्य होगी। कृपया इन निर्देशों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों को संसूचित करते हुए प्रवर्तन एवं कर निर्धारक अधिकारियों द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

12/04/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2- कमिश्नर वाणिज्य कर/ बिक्रीकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तरांचल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने राज्य के सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त सूचनायें प्रदान करने एवं उत्तर प्रदेश राज्य से अपेक्षित सूचनायें प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0/ वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।